

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ — /2018, लखनऊ, दिनांक : 15 नवम्बर- 2018,

—: आदेश:—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय/तृतीय लखनऊ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 03.12.18 से 07.12.18 तक श्री नरेन्द्र कुमार-IV एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम लखनऊ तथा श्री विजय कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 कानपुर को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की जाती है।
तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-15.11.18

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/2358/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय/तृतीय लखनऊ।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 कानपुर।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।